रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 562] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 16, 1971/कार्तिक 25, 1893
No. 562] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 16, 1971 KARTIKA 25, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDERS

New Delhi, the 16th November 1971

S.O. 5174/15/IDRA/71.—Whereas the Central Government is of the opinion that there have been instances in which it has been found that the company known as Messrs Smith Stanistreet and Company Limited, Calcutta is being managed in a manner highly detrimental to the industry and to the public interest and their resources are being dissipated.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the case, a body of persons consisting of:—

Chairman

1. Shri A. Bose, Officiating Secretary, Commerce and Industry Department, West Bengal Government, Calcutta.

Members

2. Shri P. K. Malik, Regional Director, Company Law Board, Naraini Building, 2nd Floor, 27 Brabourne Road, Calcutta-1.
3. Dr. B. Shah, Industrial Adviser (Chemicals), Directorate General of Technical Development, Udyog Bhavan, New Delhi.

[No. F. 9(29)/Lic.Pol./71.]

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली 16 नवम्बर, 1971

का० आ० 5174/15/आई० डी० आर० ए०/71.—यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसे दृष्टांत मिले हैं जिसमें यह पाया गया है कि मे० स्मिथ स्टेन्स्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता नामक कम्पनी का प्रबन्ध इस ढंग से किया जा रहा है जोकि इस उद्योग तथा जनहित के लिये बहुत ही हानि कारक है और उसके साधनों का अपव्यय किया जा रहा है ।

अतः, अब, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इस मामले की परिस्थितियों की पूर्ण और विस्तृत रूप से जांच करने के लिये एक निकाय नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(1) श्री ए० बोस, ... अध्यक्ष
स्थानापन्न सचिव,
वाणिज्य तथा उद्योग विभाग,
पश्चिम बंगाल सरकार,
कलकत्ता ।

(2) श्री पी के० मलिक, ... सदस्य
क्षेत्रीय निदेशक,
कम्पनी ला बोर्ड,
नरैनी बिल्डिंग, दूसरी मंजिल,
27, ब्रेबोर्न रोड,
कलकत्ता–1

(3) डा० ी० शाह, ... सदस्य
औद्योगिक सलाहकार (रसायन),
तकनीकी विकास का महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली ।

[सं० एफ० 9(29)/एल० पी०/71]

S.O. 5175/15/IDRA/71.—Whereas the Central Government is of the opinion that there have been instances in which it has been found that the companies known as Messrs Macneil and Barry, Calcutta and Messrs Containers and Closures Limited, Calcutta are being managed in a manner highly detrimental to the industry and to the public interest and their resources are being dissipated.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making full and complete investigation into the circumstances of the cases, a body of persons consisting of:—

Chairman

1. Shri A. Bose, Officiating Secretary, Commerce & Industry Department, West Bengal Government, Calcutta.

Members

2. Shri P. K. Malik, Regional Director, Company Law Board, Naraini Building, 2nd Floor, 27 Brabourne Road, Calcutta-1.

3. Shri F. V. Badami, Industrial Adviser (Engineering), Directorate General of Technical Development, Udyog Bhavan, New Delhi.

[No. F. 9(30)/Lic.Pol./71.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

का० आ० 5175/15/आई० डी० आर० ए०/71.—यतः केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसे दृष्टांत मिले हैं जिसमें यह पाया गया है कि मे० मैकनेल एण्ड बैरी, कलकत्ता तथा मे० कंटेनर्स एण्ड क्लोजर्स लिमिटेड, कलकत्ता नामक कम्पनियों का प्रबन्ध इस ढंग से किया जा रहा है जो कि इस उद्योग तथा जनहित के लिये बहुत ही हानिकारक हैं और उनके साधनों का अपव्यय किया जा रहा है ।

अतः, अब, उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा इन मामलों की परिस्थितियों की पूर्ण और विस्तृत रूप से जांच करने के लिये एक निकाय नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

(1) श्री ए० बोस, ... अध्यक्ष
स्थानापन्न सचिव
वाणिज्य तथा उद्योग विभाग,
पश्चिम बंगाल सरकार,
कलकत्ता ।

(2) श्री पी० के० मलिक . . . . सदस्य
क्षेत्रीय निदेशक,
कम्पनी ला बोर्ड,
नरैनी बिल्डिंग, दूसरी मंजिल,
27, ब्रेबोर्न रोड,
कलकत्ता—1

(3) श्री एफ० बी० बादामी, ... सदस्य
औद्योगिक सलाहकार (इंजीनियरी),
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली ।

[सं० एफ० 9(30)/एल० पी०/71]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971